



२८१।।

टेलीग्राफः 2266709
2266710

नव घोटाला कंप्ल., 10 अशोक नगर, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

पत्रांक : २१२७ / ३६ / ७६ / एक / २०१५-१६
सेवा में,

दिनांक : २० अगस्त २०१५

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद ललितपुर।

विषय : वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में सूडा द्वारा आपके जनपद (दूडा) को आसरा योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजना की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में आपके जनपद को आसरा योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एक्सेस बैंक	913010051941192	IFSC Code UTIB0002028	₹ 330.385 (धनराशि लाख रु० में)

क्र०सं०	जनपद / निकाय का नाम	अनुदान संख्या	आवासों की संख्या	किश्त संख्या	अवमुक्त धनराशि
1	ललितपुर / ललितपुर योग	37	300	1	₹ 330.385 ₹ 330.385

उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों में चिह्नित आसरा योजना में प्रत्यावित उपरोक्त आवासों की परियोजनाओं में योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही व्यय किया जाये:-

- १- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप आसरा योजनान्तर्गत स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य रागाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- २- योजनान्तर्गत जो भी कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य राजकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों रो लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- ३- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो उ०प्र० शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- ४- उक्त धनराशि दूडा/कार्यदायी संस्था द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि रो ही निर्धारित समय सीमा में ही पूर्ण हो जायें, क्योंकि स्वीकृत परियोजना/निर्धारित समय सीमा में कार्यपूर्ण न कराये जाने की दशा में कोई भी गूल्य वृद्धि भान्य नहीं होगी।



5300

राज भौतिक नोंद, ३० अगस्त का पार्श्व, वर्ष १९८५ २

289/2

राज्य नगरीय दिकास अभिकरण, उ.८

- 5— प्रश्नगत परियोजना में भूगतान के पूर्ति यथानियम केन्द्र, संघर्ष व स्थानीय करों की रोल पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिक्रियाओं के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्णाण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
 - 6— सूडा द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये सूडा द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह रकीकृत की गई है। फिरसी प्रकार का व्यवहरण अनुमन्य न होगा, अन्यथा की स्थिति में जनपद के रामबाणीय अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
 - 7— सूडा द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि रामबचित कार्यदायी संस्था से दूडा द्वारा प्रथम किश्त की प्रेषित धनराशि में उल्लिखित एमोओग्यू (अनुबन्ध) की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी होगी अथवा अनुबन्ध निष्पादित करने के उपरान्त धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाये।
 - 8— दूडा द्वारा कार्यदायी रांथा को अवमुक्त की गयी धनराशि के राष्ट्रेक्ष व्यय की गयी धनराशि के अनुरूप रथल पर रागादित किये गये कार्य निर्धारित मानक के अनुसार गुणवत्ताप्रक हैं, आदि का अनुश्रवण स्थानीय रहर पर दूडा के राहायक परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

भारतीय

(लक्ष्मी प्रताप रिंग)

विष्णु नियंत्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

पत्रिक ईपीटीके स्थान परिवर्तित करने को सूचना-गार्थी प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय निकारा आम्बकरण,

- पारव्यजन्म निवारक/ निपत्रकरण का।
 - सांबंधित जनपद।
 - निदेशक, रीड एण्ड वीडियो, उच्चाल जैल विभाग, लखनऊ।
 - श्री संजीव अग्रवाल, सहायक परिवर्तनी, कार्यक्रम अनुभाग, रुड़ा।
 - काम्प्यूटर सेल-रुड़ा।
 - लेखा विभाग-रुड़ा।

સુરત

वित्त नियन्त्रक